

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौंतारामगढ़ जिला-सीकर

दिनांक - 7.12.2017

क्रमांक/कैम्प/2021/702

आदेश

रिपोर्ट तहसीलदार/ नायब तहसीलदार दौंतारामगढ़ के आधार पर जाम घिमनपुरा के
पारीजा डी मन्नी खाना (संख्या) 101, 62, 15 के खातेदार
माल सिंह पुत्र रिष्पाल सिंह के स्थान पर माल सिंह पुत्र रिष्पाल
सिंह दर्ज कराने के आदेश दिये जाते हैं। किसी भी न्यायालय
का स्थगन न होना दर्ज करें।

तहसीलदार दौंतारामगढ़ निर्देशित किया जाता है कि आदेश के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारामद कर पालना से
न्यायालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रशासन शांति दौंतारामगढ़ 2017

उपखण्ड अधिकारी

दौंतारामगढ़

राजेश कुमार श्रीणा

उपखण्ड अधिकारी दौंतारामगढ़ जिला सीकर